न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/06/2021	2021/11	03–02–2021	06–04–2021

1– मीरसिंह पुत्र श्री फूलसिंह जाति मीना निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0। **–प्रार्थी**

बनाम

1– शेरसिंह पुत्र सुल्तान मीना
2– नेमीचन्द पुत्र सुल्तान मीना निवासीयान ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3– सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम अलवर राज0।
–असल अप्रार्थीगण
4– सुरेश पत्रु फूलसिंह जाति मीना
5– सुमित्रा पुत्री फूलसिंह जाति मीना
6– सरोज पुत्री फूलसिंह जाति मीना
7– मनभरी बेवा फूलसिह जाति मीना निवासीयान् ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0। **–तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री रूद्रकिशोर सैनी –वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमावत –वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी मीरसिंह बनाम सुरेश को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्त0 अधि. वाद बअनुवानी मीरसिंह बनाम सुरेश पेश किया हुआ है। प्रतिवादी शेरसिंह का पुत्र राकेश मीना व श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम एक

6/4/21

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

दूसर से भली प्रकार से परिचित है तथा अध्ययनकाल में एक साथ अध्ययन किया है। जिस कारण दोनों में काफी गहरी मित्रता है। जिसके चलते उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा उक्त प्रकरण में सही प्रकार से सुनवाई नहीं की जा रही है तथा उक्त प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से विपरित जाकर प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने की गरज व मंशा से उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 09.03.2021 नियत होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा नियमित तारीख पेशी को बदलकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 09.02.2021 का सम्मन जारी किया गया है। उक्त सम्मन नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद वादी प्रार्थी ने अपने वकील साहब से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण में नियमित तारीख पेशी बदलकर दिनांक 09.02.2021 नियत की गयी तारीख के बारे में जानकारी की तो प्रार्थी वादी के वकील ने न्यायालय में जाकर उक्त प्रकरण में बदली गयी तारीख पेशी बाबत जानकारी की तो वहां पर मौजूद प्रतिवादी शेरसिंह के पुत्र राकेश ने कहां कि अब उक्त प्रकरण में तुम्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा। मेरा दोस्त उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम मेरे साथ है। उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मालूम हुआ कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी शेरसिंह द्वारा अन्य वकील को पैरवी हेतु वकालतनामा हस्ताक्षरित कर दिया है। प्रतिवादी शेरसिंह के पुत्र राकेश की बात सुनने के बाद यह स्पष्ट जाहिर हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम प्रतिवादीगण से साजबाज है तथ प्रकरण में प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने को उतारू है। जिस कारण वादी को उक्त प्रकरण में उचित न्याय मिलने की जरा भी सम्भावना नही है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना अति आवश्यक है। दौराने विचारण मुकदमा तहत अदालत पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थगित रखने हेतु पाबन्द किया जावें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद बअनुवानी मीरसिंह बनाम सुरेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि मिन प्रार्थी शेरसिंह का पुत्र राकेश मीना व उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम एक दूसरे को जानते है तथा एक साथ अध्ययन किया है एवं उनकी गहरी मित्रता है। मिन प्रार्थी शेरसिंह का पुत्र राकेश व पीठासीन अधिकारी एक साथ कभी नहीं पढ़े और ना ही उनकी कोई मित्रता है। राकेश व पीठासीन अधिकारी की उम्र में करीब 10 साल का अंतकर है। मिन प्रार्थी का पुत्र राकेश नौकरी कता है तथा वह पीठासीन अधिकारी से उसका कोई सम्पर्क नहीं है। प्रा0पत्र मुंतकिल में दर्ज सभी तथ्य मनगढंत है व अस्वीकार है। प्रार्थी ने बिना अधिकार के दावा दायर किया है तथा वह दावे का निस्तारण नहीं कराना चाहता है, दावे के निस्तारण में देरी करना चाहता

6/4/21

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद बअनुवानी मीरसिंह बनाम सुरेश अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट पेश है, जो विचाराधीन न्यायालय है। पीठासीन अधिकारी का प्रतिवादी व उसके परिवान के सदस्य से कोई परिचय नहीं है एवं पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अध्ययन नहीं किया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा छोटी पेशी का प्रा0पत्र पेश करने पर अप्रार्थी/वादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमें आगामी पेशी 09.02.2021 नियत की गयी। प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक, मिथ्या व मनगढंत है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी मीरसिंह बनाम सुरेश को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06–04–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/4/21

(कमलराम मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)